श्रीमति सुमन बनाम राजस्थान सरकार
प्रकरण संख्या 38/2019 वाद
GCMS no 2019/00110

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 38/2019 वाद
GCMS No. – 2019/00110

सुमन पत्नि इन्द्रजीत महाजन निवासी सविता कॉलोनी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज0)।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

प्रतिवादी

दावा 89 राज0का0अधि0

उपस्थितः– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता वादीया

प्रतिवादी स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक :– 03-01-24

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम जावदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है खाता रा0 496 खसरा 1272 रकबा 0.9000 हे0 लगानी 2.70 पैसे स्थित हे उक्त आराजियात सिंचाई के ना होने से निजी तौर पर वादीया ने कुआ खुदवाया था जिसे काफी समय हो चुका हे परन्तु राजस्व अभिलेखों में उक्त कुआ अर्थात चाह कि किस्म का इन्द्राज नही हो पाया कुआ खुदने के उपरांत नवीन भू प्रबन्ध भी लागू हो चुका हे परन्तु फिर भी राजस्व अभिलेखों में उक्त किस्म का इन्द्राज नही होने से वादीया द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कोई कार्यवाही नही होने से वादीया ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश करने के बाद भी राजस्व कर्मिकों को ने उक्त तथ्य का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में नही किया जिससे मजबुर होकर वादीया को यह दावा अभिधृति के वर्ग के करेक्शन ऑफ इंट्री के सम्बंध में प्रस्तुत करना पडा कई मरतबा मौखिक व लिखित आवेदन करने के उपरांत भी प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नही की अन्तिम बार दिनांक 26.02.2019 को मौखिक रूप से

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी को कहने पर भी वह अपने आदेश की जानकारी करने पर भी कोई उचित प्रतिउत्तर नही देने व कार्यवाही करने में टाल चाल करने से उत्पन्न होकर दावा अन्दर अवधि पेश है और यह सहायता चाही की वादग्रस्त आराजियात की किस्म बीड 2 से "सिंचित" अंकित करने की कृपा करावें

2. वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद जांच दर्ज कर नोटिस प्रतिवादी जारी किये गये तामिल होने के उपरांत दिनांक 28.05.2019 को प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली में तनकीयात कायम की गई।

3. वाद पत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः—

1 — आया वादीया कि खाता संख्या 496 की आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.900 हैक्टेयर भूमि किस्म बीड से सिंचित अंकित करवाने के अधिकारीणी है ?
— जिम्मे वादी

2 — अनुतोष

4. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल सम्वत 2077—80 की जमाबंदी ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा की खाता संख्या 496 पेश की जो प्रदर्श—1 है,खसरा गिरदावरी प्रदर्श—1 है, नक्शा ट्रेस प्रदर्श—1 है, प्रदर्श—4 पटवार हल्का जावदा की रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये।

5. तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः—

<u>तनकी नम्बरः—1 :—</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर हैं। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादिया ने नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है जिसमे तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1272 की पूर्वी दिशा में उत्तर की तरफ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार चाह निर्मित होकर आराजी सिंचित होना बताया है साथ ही दस्तावेज प्रदर्श 2 में भी 0.02 हैक्टेयर रकबे पर गैर मुमकिन चाह होनो अंकित है जिसकी ताईद प्रदर्श 4 पटवार हल्का की रिपोर्ट भी वादीया के वाद की ताईद करती है जिस कारण वादिया उक्त तनकी को साबित करने में सफल रही है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में तय की जाती है।

6. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श—3 नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नम्बर 1272 की पूर्वी दिशा में उत्तर की तरफ चाह निर्मित होकर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी सिंचित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ज्ञानता पूर्वक अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में यह स्वीकार किया के ग्राम जावदा के खाता स0 496 की आराजी न0 1272 रकबा 0.9000 हे0 किस्म बीड 2 लगानी 2.70 पैसे खातेदार श्रीमति सुमन पत्नी इन्द्रजीत छाजेड निवासी जावदा के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2074 के अनुसार फसल गेहू सिंचित 0.9000 हे0 तथा कलम न0 16 में गे.मु.चाह दर्ज होना एवं संवत 2075 की खसरा गिरदरावरी फसल सरसों 0.5000 हे0 गेहूं 0.3800 हैक्टेयर भूमि एवं कलम न0 16 में गे.मु.चाह दर्ज होना अंकित किया है साथ ही उक्त आराजी की पूर्वी दिशा में उत्तर की तरफ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार चाह निर्मित है जिससे उक्त आराजी सिंचित होती है उक्त चाह का राजस्व रेकार्ड में कोई इन्द्राज नही है अंकित कर अपना जवाव प्रस्तुत किया तथा यह स्वीकार किया की उक्त चाह का कोई अंकन राजस्व रेकार्ड में नही है। वादीया का वाद अपनी भूमि में उक्त चाह का इन्द्राज कराने के सम्वंध में जिसको प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः वादीया का वाद डिक्री योग्य है।

7. अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार निम्वाहेडा को आदेश दिया जाता है की ग्राम जावदा की आराजी न0 1272 रकबा 0.9000 हैक्टेयर भूमि में उक्त चाह का इन्द्राज करें । तहसीलदार निम्वाहेडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बंर से कम हो डिकी पर्चा पृथक से बनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/1/24

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर,
निम्वाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्वाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner